<u>**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर**</u>

<u>**पत्रावली संख्या : 4/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)**</u>

विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर।

आवेदक

<u>**बनाम**</u>

कृष्ण कुमार सिंघल पुत्र नेमीचन्द (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) मैसर्स कृष्णा डेयरी बुद्ध की हाट भरतपुर। निवासी संगम मैरिज होम पुराना बयाना बस स्टैण्ड भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :–

गैरसायलान स्वयं।

<u>**निर्णय**</u>

दिनांक : 16.3.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान नियत दिनांक को स्वयं उपस्थित। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 9.6.2017 को प्रातः 4.00 पी0एम0 पर गैरसायल की डेयरी का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आम जनता के इस्तेमाल के लिए विक्रय हेतु डीप फ्रिजर में लगभग 35 किलो ग्राम पनीर रखा हुआ पाया गया। जिसमें मिलावट/संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–551/एक्ट/2017/572 दिनांक 27.6.2017 द्वारा उक्त पनीर का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का पनीर आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26(2) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि प्रार्थी की डेयरी पर दूध विक्रेताओं से प्राप्त दूध को संग्रहण कर दूध से पनीर आदि तैयार कर विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। विक्रय किये जाने वाले दूध से निर्मित पनीर अवमानक पाया गया है। भविष्य में गैरसायल अधिक

सजगता बरतते हुए दूध विक्रेताओं से सही दूध प्राप्त कर ही पनीर आदि का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 9.6.2017 को प्रातः 4.00 पी0एम0 पर गैरसायल की डेयरी पर आम जनता के इस्तेमाल के लिए विक्रय हेतु पनीर का नमूना लिया गया जो खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–551/एक्ट/ 2017 /572 दिनांक 27.6.2017 द्वारा उक्त पनीर का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा स्वयं के स्तर पर कोई मिलावट न कर दूध विक्रेताओं से दूध क्रय कर उसका पनीर तैयार करना जाहिर किया है । उनके द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से दूध क्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। चूंकि गैरसायल की डेयरी पर 35 किलो ग्राम पनीर वक्त जांच निरीक्षण संग्रहित पाया गया है, जो गैरसायल द्वारा दूध विक्रेताओं से दूध क्रय कर पनीर तैयार किया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 3000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल द्वारा रसीद संख्या 000051 दिनांक 16.3.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2018 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर